प्रेस विज्ञप्ति

यातायात पुलिस आयुक्तालय जोधपुर

दिनांकः—23.10.2024

श्रीमान राजेन्द्रसिंह पुलिस आयुक्त जोधपुर, के निर्देशानुसार पुलिस आयुक्तालय जोधपुर के सम्पूर्ण क्षेत्राधिकार में दुपहिया वाहन चालकों द्वारा वाहन के साईलेंसर को बदलवाकर उसके स्थान पर मॉडिफाईड तेज आवाज/पटाखे जैसी आवाज करने वाले साईलेंसर लगाकर तेज गति व तेज आवाज के साथ वाहन चलाते हैं, जिससे आमजन में भय उत्पन्न होता हैं। मॉडिफाईड (पटाखे जैसी तेज आवाज करने वाले) साईलेंसर लगाकर दुपहिया वाहन चलाने वाले चालकों के विरूद्ध दिनांक 16.10.2024 से 23.10.2024 तक को यातायात पुलिस आयुक्तालय जोधपुर द्वारा विशेष सघन जॉच एवं कार्यवाही का अभियान चलाया गया था।

यातायात पुलिस आयुक्तालय जोधपुर द्वारा मोडिफाई (पटाखे जैसी तेज आवाज करने वाले) साईलेन्सर लगाकर मोटरसाईकिल चलाने वाले चालकों के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत **94** वाहनों के विरूद्ध चालान कार्यवाही की गई।

यातायात पुलिस आयुक्तालय जोधपुर की दुपहिया वाहन चालकों व दुकानदारों से विन्रम अपील है कि मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों की पालना करें ओर सुरक्षित रहें। अगामी दिनों में यातायात पुलिस आयुक्तालय जोधपुर द्वारा मोडिफाई साईलेन्सर (पटाखे जैसी तेज आवाज) करने वाले दुपहिया वाहन चालकों तथा जिन दुकानदार द्वारा वाहनों की आरसी शर्तो के नियमों के विपरीत मोडिफाई साईलेन्सर लगाये जाते हैं, उन दुकानदारों के खिलाफ कार्यवाही का अभियान चलाया जायेगा।

(दुर्गाराम चौधरी)
अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त,
यातायात आयुक्तालय जोधपुर